सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2019/3 दिनॉक 11/1/19

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

राजस्व वाद संख्या : 2018/383 निर्णय दिनांक 07.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सेवाराम पुत्र गीधाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. भंवरलाल पुत्र गिधाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में अन्तिम निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हों।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

वाद संख्याः **2018/383** दायर दिनांक **27.12.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. सेवाराम पुत्र गीधाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. भंवरलाल पुत्र गिधाराम, 2. नानुराम पुत्र गिधाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान फोगड़ी, तहसील डीडवाना 3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

–:: निर्णय ::– दिनांक **07.01.2019**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय के आदेश अनुसार बंटवारा दिनॉक 28.07.2017 के अनुसार खसरा संख्या 125 रकबा 39.19 बीघा वाके पावटा की खातेदारी पक्षकारान के नाम से अलग अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो थी। तथा वादी के बंट में उसकी होटल व मकान भी उसके बंटवारे ममें दर्ज हो गये थे। नक्शा ट्रैस में इनका इन्द्राज है जो साथ में पेश है। भू–प्रबन्घ विभाग सीकर के द्वारा बाद सर्वे उक्त भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 39.19 बीघा के नये खसरा संख्या 253 रकबा 0.14 हैक्टेयर मण्डोर होटल, खसरा संख्या 254 रकबा 0.04 हैक्टेयर मकान व खसरा संख्या 255 रकबा 6.39 हैक्टेयर भूमि दर्ज हो गयी जिस पर्चा नोटिस की नकल साथ में पेश है तथा भू प्रबन्घ विभाग के नये खसरा नम्बरो के तीन हो जाने से नयी खतौनी में सहव से वादी सेवाराम, भंवरलाल, नानूराम के नाम मण्डोर होटल खसरा संख्या 253 रकबा 0.14 हैक्टेयर का अंकन इनके नाम की बजाय दूसरो की खातेदारी जीवणी वगैरह के दर्ज हो गयी जबकि खसरा संख्या 253 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी सेवाराम व उसके भाईयों के नाम से दर्ज पूर्व की तरह होनी चाहिए थी, तथा 0.14 हैक्टेयर वादी वगैरह के नाम हो जाने से जीवणी वगैरह के खसरा संख्या 255 रकबा 1.37 हैक्टेयर व खसरा संख्या 364/255 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल 1.51 हैक्टेयर हो जावेगा तथा वादी व उसके भाईयों के खसरा संख्या 364/255 रकबा 1.32 हैक्टेयर व खसरा संख्या 254 रकबा 0.4 हैक्टेयर व खसरा संख्या 254 रकबा 0.14 कुल 1.50 हैक्टेयर भूमि पूर्व की तरह हो जावेगा। तथा वर्तमान में इस दुरूस्ती को ठीक किया जाना कानूनन सही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 02 ने मय अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 बावजूद

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल सम्वत् 2072 से 2073 प्रदर्श–1 है, खतौनी की नकल सम्वत् 2073 प्रदर्श –2 है, गिरदावरी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श –3 है, गिरदावरी संम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श –4 है, भुप्रबन्ध विभाग का पर्चा नोटिस प्रदर्श–5 है, उमाराम बनाम भंवर सिंह अनुवान के प्रकमरण का नजरी नक्शा प्रदर्श –6 है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद पावटा में स्थित खेत खसरा संख्या 253 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 364/255 रकबा 1.46 हैक्टेयर की बजाय 1.32 हैक्टेयर व खसरा संख्या 254 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल 1.50 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के नाम से व खसरा संख्या 255 रकबा 1.37 हैक्टेयर व खसरा संख्या 364/255 रकबा 1.46 हैक्टेयर में से शेष 0.14 हैक्टेयर कुल 1.51 हैक्टेयर की खातेदारी जीवणी, तेजाराम, रामचन्द्र व रूपाराम के नाम से की जाती है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/383**

दायर दिनांक **27.12.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. सेवाराम पुत्र गीधाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. भंवरलाल पुत्र गिधाराम, 2. नानुराम पुत्र गिधाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागोर 3. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :– 07.01.2019

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद पावटा में स्थित खेत खसरा संख्या 253 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 364/255 रकबा 1.46 हैक्टेयर की बजाय 1.32 हैक्टेयर व खसरा संख्या 254 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल 1.50 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के नाम से व खसरा संख्या 255 रकबा 1.37 हैक्टेयर व खसरा संख्या 364/255 रकबा 1.46 हैक्टेयर में से शेष 0.14 हैक्टेयर कुल 1.51 हैक्टेयर की खातेदारी जीवणी, तेजाराम, रामचन्द्र व रूपाराम के नाम से की जाती है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुवलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.01.2019** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर डीडवाना डीडवाना)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर डीडवाना डीडवाना)

Scanned by CamScanner